महत्वपूर्ण

संख्या–372 / XXIV(8) / 2005–5 / 2005

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग –8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 3 दिसम्बर,2005

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में रूद्रप्रयाग राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु धनराशि की वर्ष 2005–06 में स्वीकृति एवं पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–102 / नि.प्रा.शि. / प्लान छः–15 / 2005–06 दिनांक 5.4.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद रूद्रप्रयाग में रूद्रप्रयाग राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करते हुए उक्त पालीटेक्निक हेतु निम्नलिखित 04 (चार) अस्थायी संवर्गीय पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28.2.2006 तक की अवधि, बशर्ते कि ये इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, के लिए सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र. स.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	रू0 12000–375–16500	01
2.	आशुलिपिक	रू0 4000–100–6000	01
3.	अनुसेवक	रू0 2550–55–2660–60–3200	02
	योग		04

2– उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

3– उक्त पद पर उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य किये गये मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

4– उक्त पदों में से आशुलिपिक एवं अनुसेवक के पदों पर नवनियुक्ति नहीं की जायेगी, बल्कि इन पदों पर प्रदेश के सरप्लस/छंटनीशुदा कर्मचारियों का समायोजन किया जायेगा।

5– उपरोक्त पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0 470 हजार (रूपये चार लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु भी आपके निर्वतन पर रखे जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मानक मद	धनराशि (हजार रूपये में)
01–वेतन	50
03–मंहगाई भत्ता	20
06–अन्य भत्ते	10
48–मंहगाई वेतन	20
08–कार्यालय व्यय	10
26–मशीनें साज–सज्जा/ उपकरण	350
42–अन्य व्यय	10
योग	**470**

6– व्यय करते समय बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डीजी एण्ड डी की दर अथवा ये दरें न होने पर टेन्डर/ कोटेशन विषयक नियमों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

7– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2006 तक उपभोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2203 –तकनीकी शिक्षा –00–आयोजनागत –105–बहुशिल्प (पालीटेक्निक) विद्यालय–06–रूद्रप्रयाग में पालीटेक्निक की स्थापना–00 –उपरि उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।